संख्या–3865 / 9–आ–4–433एन / 97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, (नगर निगम क्षेत्र)
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर,
वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़,
गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 10 जनवरी, 2000

विषय : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2311 / 9–आ–4–97–433एन / 97, दिनांक 15 सितम्बर,, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(1) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्वाध रूप से रिक्त नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रू. 300 / – प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, चयनित किये जाने की शर्त रखी गयी थी। तथा इसी शासनादेश के प्रस्तर–2(5) में यह भी शर्त रखी गयी थी कि योजना के लिए स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–15.9.1997 के प्रस्तर–2(1) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निर्बाध रूप से रिक्त चयनित नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु. 300 / – प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 (5) में आवंटन प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या– 3865 (1)/9–आ–4–99–433एन/97 तद्दिनांक :–
प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस

प्रिय महोदय,

नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति को सफल बनाये जाने हेतु नयी नजूल नीति के अर्न्तगत अधिक से अधिक नजूल भूमि फ्रीहोल्ड किये जाने विषयक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–3021/9–आ–4–2000–383एन/2000, दिनांक–31 अगस्त, 2000 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नजूल भूमि फ्रीहोल्ड की सूचना/विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि आपके जनपदों में फ्रीहोल्ड के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण पूरी निष्ठा एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना भी समय से शासन को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के सभी जनपदों की संकलित उपलब्धिां दर्शाते समय आपके जनपद की उपलब्धियों के सम्बन्ध में ''सूचना प्राप्त नहीं हुई है'', अंकित किया जाता है। आप समहम होंगे कि यह स्थिति उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव एंव माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर से भी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद की नियमित सूचना प्राप्त न होने के कारण प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आप नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में अपने जनपद की उपलब्धियों की स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयबद्ध सूचना नियमित रूप से नीचे पार्श्व पर अंकित ई मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

यदि भविष्य में नियमित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो शासन इसे गम्भीरता से लेने हेतु बाध्य होगा। पत्र की पावती भी स्वीकार की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।
अर्द्धसंख्या नं0 –275/9–आ–4–2001–5931/2001
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग – 1
लखनऊ : दिनाँक : 31 जनवरी, 2001

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–एन0एस0 01/9–आ–1–2001–16एन/2000

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 13 फरवरी, 2001

विषय : नजूल भूमि के फ्रोहोल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित में नजूल भूमि के प्रबन्ध एंव निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक, संसाधन में वृद्धि किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–2201/9–आ–4–2000, दिनांक–30 जून, 2000 द्वारा जनपदवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रश्नगत मामले में समीक्षा करने पर शासन के संज्ञान में यह आया है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष डिमाण्ड नोट जारी किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

2. आप सहमत है कि नजूल फ्रीहोल्ड हेतु मांगपत्र निर्गत करने के उपरानत आवेदकों को शेष फ्रीहोल्ड धनराशि जमा करने हेतु 90 दिन की समयावधि दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि मांग पत्र जितनी शीघ्रता से जारी होंगे, उसी अनुरूप राजकोष में फ्रीहोल्ड राशि की प्राप्ति होगी। इसमें होने वाले विलम्ब के फलस्वरूप राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. आपके संज्ञान में यह भी लाया जा चुका है कि राजस्व प्राप्ति हेतु नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने के कार्यक्रम को शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महत्व दिया गया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की मण्डलवार समीक्षा बैठकों में भी फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय की समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण न किये जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष फ्रीहोल्ड से राजस्व की आय की प्राप्ति नितान्त अंसतोषजनक है। शासन द्वारा फ्रीहोल्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिकतम संख्या में आवेदन पत्रों को लम्बित रखे जाने को गम्भीरता से लिया गया हैं। और इस चिन्ताजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही प्रार्थना पत्रों के निस्तारणार्थ समय–समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी अपको भेजे गये हैं।

4. अतः फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु अपने जनपद के लम्बित सभी आवेदन पत्रों का शीर्ष प्राथमिता के आधार निस्तारण समयबद्ध रूप से विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेश के अनुपालन/प्रगति की सूचना स्वयं के हस्ताक्षर से प्रतिमाह नियमित रूप से शासन को विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड नीति

के क्रियान्वयन में आप द्वारा दिये गये योगदान तथा उल्लेखनीय उपलब्धि का अंकन आपकी वार्षिक चरित्र पंजिका में विशेष रूप से किया जायेगा।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

पत्र संख्या–1032/9–आ–4–2000–535एन/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 21 मार्च, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु अपात्र होने, भूमि नजूल भूमि न होने तथा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की दशा में स्वमूल्यांकन की धनराशि में से प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में रू. 500/– कटौती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक ऐसे व्यक्तियों द्वारा फ्रीहोल्ड कराये जाने हेतु स्वमूल्यांकन के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर ओवदन किया गया है, जो कि फ्रीहोल्ड की पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं तथा कतिपय मामलों में नजूल भूमि न होने पर भी फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रीहोल्ड के कतिपय प्रकरण में आवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर फ्रीहोल्ड की देय धनराशि जमा नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि उक्त सभी प्रकार के मामलों में प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यवाही करनी पड़ती है अतः फ्रीहोल्ड हेतु आवेदक के अपात्र होने, भूमि नजूल न होने अथवा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन निरस्त किये जाने की स्थिति में धनराशि वापसी के चरण पर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत आवेदन धनराशि से रू0 500/– (रू0 पांच सौ मात्र) प्रोसेसिंग जार्च के रूप में कटौती कर ली जाय।

अतः उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–1032 (1)/9–आ–4–2000–535एन/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–1677 / 9–आ–4–2001–603एन / 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 11 जून, 2001

विषय : आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जमा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त धनराशि वापसी के प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि अधिकांश जनपदों से धनराशि वापसी के मामलों में सम्पूर्ण सूचना सहित प्रस्ताव शासन का उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में धनराशि वापसी के जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे जाये वह संलग्न प्रारूप–1 की सूचना के साथ, प्रत्येक प्रकरण के लिये अलग–अलग भेजे जाये।

3. मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन मामलों में शासन द्वारा नजूल फ्रीहोल्ड आवेदन राशि आदि की वापसी की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय, ऐसे मामलों में जनपद स्तर पर आवेदक को धनराशि वापसी के पूर्व भी संलग्न किये जा रहे प्रारूप–प्प की सूचना की पृष्टि सभी मामलों में करने के उपरान्त ही धनराशि वापसी की कार्यवाही की जाय तथा प्रारूप– II पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित पत्रावली पर रखा जाय।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

अभ्युक्ति

(प्रारूप–I)

1. नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से सम्बन्धित निरस्त किये गये प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष वापस की जाने वाली धनराशि का विवरण पत्र
2. वापस की जाने वाली धनराशि
3. आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आधार तथा दिनांक
4. फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किस रूप में प्रस्तुत किया गया तथा पट्टेदार/नामित व्यक्ति/अवैध कब्जेदार आदि
5. यदि डिमाण्ड नोट निर्गत किया गया है और उसके सापेक्ष यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उसका विवरण
6. आवेदन पत्र के साथ 25 प्रतिशत जमा की गयी धनराशि का विवरण/ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक
7. फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक तथा भूमि संख्या व क्षेत्रफल

आवेदक का नाम/पता .....

क्रम सं0 .....

प्रारूप–II

धनराशि वापसी हेतु निर्धारित प्रारूप

————————————————————

1– आवेदक का नाम एवं पता–

2– भूखण्ड का विवरण जिस हेतु धनराशि जमा की गयी है –

3– जमा धनराशि का विवरण यथा ट्रेजरी चालान संख्या एवं तिथि –

4– धनराशि वापसी का कारण –

5– धनराशि वापसी के आदेश का विवरण–

6– प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा की गयी धनराशि का कोषागार से मिलान कर लिया गया/संतुष्टि कर ली गयी है कि उक्त धनराशि आवेदक द्वारा कोषागार में जमा की गयी थी जिसे दिनांक ..... में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में एतद्द्वारा रूपया ..... वापस किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी का नाम .....

पद नाम .....

प्राप्तकर्ता/आवेदक का नाम .....

एवं हस्ताक्षर .....

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

अर्द्ध शा0पा0सं0 1955 / 9—आ—4—2001

प्रमुख सचिव,

आवास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ—226001

आवास अनुभाग — 4

लखनऊ : दिनाँक : 13 जुलाई 2001

अतुल कुमार गुप्ता,

आई0प0एस0,

प्रिय महोदय,

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के उपरान्त पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि जनपद स्तर पर जारी डिमाण्ड नोट के सापेक्ष फ्रीहोल्ड की धनराशि जमा कराने के उपरान्त फ्रीहोल्ड का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराये जाने में विशेष रूचि नहीं ली जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में शासन के कर एंव निबन्धन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–5–681/11–2001–500(7)/2001, दिनांक 28 मार्च, 2001 द्वारा नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री हेतु केवल दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 तक स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त छूट का प्राविधान विशेष परिस्थितियों में अन्तिम बार किया गया है। अतः भविष्य में दिनांक 19 अक्टुबर, 2001 के उपरान्त फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट अनुमन्य नहीं होगी। अतः आप अपने जनपद के ऐसे समस्त मामले जहां पक्ष द्वारा फ्रीहोल्ड की धनराशि जमा कर दी गई है, फ्रीहोल्ड का विलेख तत्काल निष्पादित करने का कष्ट करें। यदि किसी मामले में दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 तक फ्रीहोल विलेख की रजिस्ट्री न होने के कारण कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आयेगा तो ऐसे मामले में दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मुझे आपसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल फ्रीहोल्ड से सम्बन्धित विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अनुश्रवण किये जाने हेतु निम्न सूचनाओं की तत्काल आवश्यकता है :–

1– प्रारम्भ से दिनांक 31–3–2001 तक निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या

2– निम्नलिखिति माह में निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या

I- माह अप्रैल, 2001 में .....

II–माह मई, 2001 में .....

III–माह जून, 2001 में .....

अतः कृपया उक्त सूचना राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 20 एवं 21 जुलाई, 2001 को आयोजित बैठक में उपलब्ध कराने हेतु अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

1– समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2— उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अर्द्ध शा0पं0सं0 1955 (1)/9—आ—4—2001 तद्दिनांक

प्रिय, महोदय

उक्त की प्रति मुझे आप को सूचनार्थ एवं अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

अद्ध शा0पा0सं0 1955(2)/9–आ–4–2001

प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ–226001
आवास अनुभाग – 4
लखनऊ : दिनाँक : 13 जुलाई 2001
अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस

प्रिय महोदय,

कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के सन्दर्भ में शासन द्वारा निर्धारित 18 कालम के प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के स्थान पर 8 कालम में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1720/9–आ–4–2001–350एन/99 टी0सी0, दिनांक 6 जून, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि फ्रीहोल्ड के मामले में विलेख की रजिस्ट्री किये जाने की कार्यवाही तत्परता से नहीं की जा रही है। अतः फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अनुश्रवण किये जाने हेतु संदर्भित पत्र में उल्लिखित 8 कालम को निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की मासिक प्रगति की आख्या

जनपद का नाम ..... माह..... वर्ष 2001–2002

1–माह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या .....

2–माह में जमा स्वमूल्यांकन आवेदन धनराशि रू0 लाख में .....

3–माह में निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या.....

4–माह में स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या.....

5–माह में जारी डिमाण्ड नोट की संख्या.....

6–माह में निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या .....

7–माह में जारी डिमाण्ड नोट में निहित धनराशि .....

8—डिमाण्ड नोट के सापेक्ष माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....

9—नीलामी/निविदा द्वारा माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....

10—अन्य विवरण .....

अतः आगामी माह से नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त धनराशि की तथा अन्य वांछित सूचना उक्त 10 कालम के प्रारूप में शासन को प्रत्येक माह के 3 तारीख को ई—मेल अथवा फैक्स द्वारा प्रेषित किया सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

1— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2— उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अर्द्ध शा0पा0सं0—1955(3)/9—आ—4—2001 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति मुझे आप को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–2066 / 9–आ–4–2001–388एन / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 20 अगस्त, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 प्रस्तर–6 एवं पृष्ठ–16 के क्रमांक–16 पर अंकित जिज्ञासा एवं समाधान का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि का फ्रीहोल्ड नीति विषयक जारी मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 के प्रस्तर–6 में यह प्राविधान है कि ''पट्टेदार से क्रेता के पक्ष में भी 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क लेकर फ्रीहोल्ड किया जा सकता है।'' उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्राविधान शासनादेश संख्या–1300 / 9–आ–4–96–629एन / 95 टी.सी., दिनांक–29.8.1996 में उल्लिखित मंशा के अनुरूप नहीं है और न ही शासनादेश संख्या–2668 / 9–आ–4–98–704एन / 97, दिनांक–1.12.1998 के प्रस्तर–4 के अनुरूप है। अतः पट्टाधारक के क्रेताओं जिनका मूल पट्टेदार से लिंक मिल रहा है, को पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे मामले में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा। अतः एतद्द्वारा मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 के प्रस्तर–6 को तद्नुसार संशोधित माना जाये।

इसी प्रकार मार्गदर्शिका के पृष्ठ–16 के क्रमांक–16 पर निम्न जिज्ञासा एवं समाधान अंकित है :–

16. जिज्ञासा : नजूल भूमि मैंने मूल पट्टेदार से बैनामें द्वारा क्रय की थी, परन्तु अभी मेरा नाम नही चढ़ा है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मार्गदर्शन किसी भी शासनादेश अथवा नीति से समर्थित नहीं है, अतः उक्त जिज्ञासा–16 के स्थान पर निम्नाकिंत समाधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

समाधान : ''जी हाँ, यदि पंजीकृत बैनामें द्वारा क्रय की थी। इस हेतु आपको स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बाण्ड प्रस्तुत करना होगा परन्तु फ्रीहोल्ड की कार्यवाही पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये ही की जायेगी। इसलिए फ्रीहोल्ड के लिए आकंलित मूल्य पर 5 प्रतिशत धनराशि हस्तानान्तरण शुल्क अथवा नामान्तरण शुल्क के रूप में अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी। परन्तु आपको पट्टेदार अथवा

उसके उत्तराधिकारी की भाँति नामित करने का अधिकार तब तक नहीं उपलब्ध होगा जब तक आप पट्टेदार के स्थान पर नजूल अभिलेखों में अपना इंद्राज नहीं करा लेते।''

कृपया उपरोक्त आदेश तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–2866 (1)/9–आ–4–2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जावेद एहतेशाम
उप सचिव